

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 376 / 2009 / जयपुर
2. अपील संख्या - 377 / 2009 / जयपुर
3. अपील संख्या - 378 / 2009 / जयपुर
4. अपील संख्या - 379 / 2009 / जयपुर
5. अपील संख्या - 380 / 2009 / जयपुर

मैसर्स गैलेक्सी ऑटो एक्सल प्रा.लि.,
ए-1, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर
बनाम

.....अपीलार्थी.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,
राजस्थान, तृतीय, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,

उप-राजकीय, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.04.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त पांचों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 30.12.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 सपठित राज. मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा राविकअ की धारा 29, 58, 61 व 65 व रामूपकअ की धारा 25, 61, 55 व 58 आदेश दिनांक 15.03.2008 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अ.सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अवधि	कर/वेट राशि		ब्याज		शास्ति		धारा 58 शास्ति	धारा 61 शास्ति
			अन्तरकर	उचन्त बिक्री पर वेट राशि	अन्तर कर ब्याज	उचन्त बिक्री पर ब्याज	अन्तर कर की दोगुनी शास्ति	उचन्त बिक्री पर शास्ति		
376/2009	22 आरएसटी	1.4.05 से 31.3.06	5 प्रति. 1,49,887	-	38,971	-	2,99,774	-	-	3370
377/2009	25 आरवेट	1.4.06 से 30.6.06	8.5 प्रति. 1,85,938	-	39,047	-	3,71,876	मासिक कर देरी से जमा 1,874	2770+120	-
378/2009	23 आरवेट	1.7.06 से 30.9.06	1,63,642	1,02,533	29,456	18,456	3,27,284	-	1900 150	-
379/2009	24 आरवेट	1.10.06 से 31.12.06	3,29,923	-	49,488	-	6,59,846	-	150	-
380/2009	26 आरवेट	1.1.07 से 31.3.07	3,13,073	1,01,040 बिक्री वापसी शास्ति	37,569	12,125 बिक्री वापसी ब्याज	6,26,146	-	950	-

2. इन पांचों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

लगातार.....2

3. उपरोक्त सभी अपीलों सम्बन्धी तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है :- मैसर्स गैलेक्सी एक्सल प्रा.लि., ए-1, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलार्थी' कहा गया है) का सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा दिनांक 22.03.2007 को सर्वेक्षण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2005-06 के लिए धारा 29, 58, 61 व 65 एवं वर्ष 2006-07 के लिए धारा 25, 55, 61 एवं 58 के तहत उक्त तालिका के कॉलम संख्या 3 की अवधियों का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए तालिका के कॉलम संख्या 4 से 8 के अनुसार मांगें सृजित की, जिसे अपीलों द्वारा विवादित किया है। सर्वेक्षण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी कम्पनी स्वयं द्वारा निर्मित मोटर पार्ट्स का अपने मुख्यालय कोल्हापुर से स्टॉक ट्रांसफर द्वारा प्राप्त किये गये स्टॉक की बिक्री एवं मैसर्स राजेश मोटर्स प्रा.लि., जयपुर, से मोटर पार्ट्स एवं ऐसेसरीज की खरीद कर बिक्री की जाती है। व्यवहारी कम्पनी द्वारा मैसर्स राजेश मोटर्स प्रा.लि., जयपुर एवं अपने मुख्यालय कोल्हापुर से स्टॉक ट्रांसफर द्वारा प्राप्त किये गये स्टॉक Dummy Rear Axle Assembly (मोटर पार्ट नम्बर 0903339) के विक्रय पर वर्ष 2005-06 में 9 प्रतिशत एवं 2006-07 में 12.5 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत की दर से वैट संग्रहित किया जा रहा है। कोल्हापुर स्थित डिपो से स्टॉक ट्रांसफर में भी Dummy Rear Axle Assembly का स्टॉक प्राप्त किया गया है, लेकिन बिक्री एक्सल के नाम से की गयी है। व्यवहारी के रिकॉर्ड की ऑडिट एवं जांच पर तथा प्रस्तुत एसटी 5ए एवं वैट-10 में दर्शायी गई एक्सल की बिक्री पर वर्ष 2005-06 में 9 प्रतिशत एवं 2006-07 में 12.5 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत की दर से वैट संग्रहित किया, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करने राविकअ 1994 धारा 29, 58, 61 व 65 एवं वर्ष 2006-07 के लिए रामूपकअ 2003 की धारा 25, 55, 61 व 58 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। व्यवहारी द्वारा नोटिसों के जवाब प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के संव्यवहारों में Dummy Rear Axle Assembly की बजाय एक्सल दर्शा कर मोटर पार्ट्स पर वर्ष 2005-06 में 9 प्रतिशत एवं 2006-07 में 12.5 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत की दर से वैट संग्रहित करने पर, उचन्त बिक्री एवं बिक्री वापसी को अस्वीकार करते हुए व्यवहारी द्वारा दिये गये समस्त न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करने के पश्चात, उस पर उपरोक्त तालिकानुसार मांगें सृजित की एवं करवंचना हेतु शास्तियों का आरोपण किया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की, जिनको उक्त विवादित वस्तु की बिक्री तथा विक्रय वापसी पर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की है तथापि मैसर्स गुलजग इण्डस्टीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007)8 वेट रिपोर्टर पार्ट 4 पृष्ठ 87 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार शास्तियों को भी यथावत रखा। उपरोक्त अपीलीय आदेश दिनांक 30.12.2008 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये कि कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक एवं अनुचित है, जिनको अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जावें। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में अंकित संव्यवहारों के अतिरिक्त किसी भी तरह का करापवंचन नहीं पाया गया। व्यवहारी ने विधिक राय प्राप्त करने के बाद ही सही दर से कर वसूल शुरू किया है, जिस पर निर्धारण

अधिकारी ने भिन्न मत रखते हुए यह प्रकरण बनाये है। वास्तव में यह मामले एक्सल की बिक्री पर कर की दर का मामला है, अपीलार्थी का कथन है कि कम्पनी द्वारा Dummy Rear Axle Assembly का कम्पनी के मुख्यालय कोल्हापुर में विनिर्माण किया जाता है कम्पनी की महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के ब्रांच कार्यालय है सभी जगह उक्त उत्पाद Dummy Rear Axle Assembly का स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है एवं संबंधित राज्य महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में 4 प्रतिशत की दर से ही विक्रय किया जा रहा है वास्तव में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14(IV)(XIV) के तहत एक्सल एक घोषित वस्तु है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक कर वसूल नहीं किया जा सकता, उसकी लेखा पुस्तकों में दर्ज संव्यवहारों, जिन पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर बिक्री किया है, पर भिन्न मत अपनाकर, मिथ्या मामला बनाया है और उसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी कानूनी प्राधिकारिकता के क्षेत्राधिकार ग्रहण किया है।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राज एग्रो इण्डस्ट्रीज (1987) 64 एसटीसी 178 के मामले में निर्णित किया है कि एक्सल पर केवल हब्स और बियरिंग लगा देने से यह भिन्न वस्तु नहीं हो जाता है। व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने जाहिर किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में बैलगाडी में लगने वाले एक्सल के विषय में निर्णय दिया है तथा व्यवहारी भी विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों में लगने वाले एक्सल की बिक्री करता है। बैलगाडी के सुचारु संचालन के लिए एक्सल पर हब्स और बियरिंगस लगाये जाते हैं। इसी प्रकार मोटर वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए एक्सल पर ड्रम आदि लगाने आवश्यक है। इस प्रकार ड्रम आदि लगाने से एक्सल की प्रकृति नहीं बदलती है। अतः व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जाने वाले "Dummy Rear Axle Assmebly" एक्सल ही है तथा केन्द्रीय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत घोषित वस्तु है, इसकी बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक की दर से करारोपण नहीं किया जा सकता है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स दीवान एन्टर प्राईजेज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश 102 एसटीसी 67 के मामले में साईकल में लगने वाली रिम केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत घोषित वस्तु स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के बिक्री कर आयुक्त बनाम शंकर मोटर्स स्टोर्स (1995) 98 एसटीसी 384 के मामले को उद्धरत किया है। अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गैलवनाइज्ड स्टील पाईप को धारा 14 के तहत घोषित वस्तु मानने के मैसर्स गुजरात स्टील ट्यूब्स लि. बनाम केरल राज्य का उद्धरण भी प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी का कथन है कि पूर्व में वर्णित न्यायिक दृष्टांतों विशेष रूप से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में उनके द्वारा एक्सल की बिक्री पर उचित रूप से 4 प्रतिशत की दर से कर जमा कराया गया है।

8. अपीलार्थी अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8.5 प्रतिशत अन्तर कर एवं उंचत बिक्री पर कर की गणना एवं उसकी दोगुनी शास्ति एवं ब्याज तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति पर विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए अविधिक एवं अनुचित होने के कारण अपास्त करने का निवेदन किया गया तथा किसी भी प्रकार की उंचत खरीद एवं बिक्री को अस्वीकार करते हुए उनके लेखा पुस्तकों में इन्द्राज होने का कथन किया है।

अपीलार्थी द्वारा जमा करायी गयी राशि का भी समायोजन नहीं दिया गया है। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम कुमावत उद्योग का उद्धरण प्रस्तुत कर कथन किया है कि बिक्री विवरणी में कोई तथ्य छुपाने या जानबुझ कर गलत तथ्य अंकित करने पर ही शास्ति कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में दर्ज है और किसी संव्यवहार की प्रकृति की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है तो शास्ति कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। उसकी करापवंचन की कोई नियत नहीं थी। बिना mens rea के सरसरी तौर (routine manner) से धारा 61 की शास्ति आकर्षित नहीं होता है। कर कानूनों में शास्ति आरोपण के प्रावधान quasi criminal प्रकृति के होते हैं। इसलिये शास्ति आरोपण हेतु mens rea होना आवश्यक है।

9. अपीलार्थी ने कथन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 74 एसटीसी 288 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 76 आईटीआर के मामले के निर्णय का अनुसरण करते हुए निर्णीत किया है कि :-

"mere rejection of explanation of the assessee as false does not automatically attract penalty in such a situation and before the penalty can be imposed it must be held that the assessee had consciously concealed the particulars or had deliberately furnished inaccurate particulars."

10. अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि. बनाम उडीसा राज्य (25 एसटीसी 211) का दृष्टान्त प्रस्तुत कर कथन किया है कि शास्ति आरोपण की प्रक्रिया quasi criminal प्रकृति की है। इसलिये सामान्यतः शास्ति आरोपित नहीं करनी चाहिए जहां पक्षकार ने जानबुझ कर कानून की अवहेलना नहीं की हो। अपीलार्थी ने इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के अनवर अली (76 आईटीआर 696) का उद्धरण भी प्रस्तुत किया है।

11. अपीलार्थी ने Assistant commissioner, Commercial Taxes, Circle B, Kota Vs Air Oil Flar Gas (India) Limited, 2001 STT Vol. 8 Page 139 का उद्धरण प्रस्तुत कर कथन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया है कि ब्याज कर निर्धारण आदेश की तिथि से ही आरोपित किया जा सकता है। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड के M/s Grindwell Norton Vs CTO, M/s Raghuvar India Limited Vs CTO, Anti Evasion 2, HO Jaipur तथा M/s Honda Siel Power Products Limited Vs Assistant Commissioner, Anti Evasion Rajasthan 3, Jaipur के उद्धरण प्रस्तुत कर कथन किया है कि जब तक कर की गणना (Tax is quantified) नहीं कर ली जाती है, ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के M/s E.I.D Parry (India) Limited Vs Assistant Commissioner of Commercial Taxes 141 STC 12 का उद्धरण भी प्रस्तुत किया है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया।

12. विभागीय प्रतिनिधि ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए मौखिक बहस के दौरान कहा कि अपीलार्थी ने Dummy Rear Axle Assmebly पर वर्ष 2005-06 में 9 प्रतिशत एवं 2006-07 में 12.5 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत की दर से वेट संग्रहित किया है जोकि अपवंचन की श्रेणी में आता है, अपीलार्थी द्वारा अपने मुख्यालय कोल्हापुर से स्टॉक ट्रांसफर द्वारा प्राप्त किये गये स्टॉक Dummy Rear Axle Assembly के नाम से प्राप्त किया गया है तथा करापवंचन का दोषी मनोभाव से एक्सल के नाम से बिक्री की है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

13. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों के परिशीलन किया गया। अपीलार्थी के प्रतिकरापवंचन के कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार नहीं होने के संदर्भ में व्यवहारी ने मैसर्स रामबाग पैलेस होटल प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (6 एसटीओ 220), मै. डेज मेडिकल स्टोर्स लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन (10 एसटीए पेज 281), मै. डी.के.वूलन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1998 टैक्स वर्ल्ड पेज 14) मै. वासुकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन (3 एसटीओ पेज 1), मै. होन्डा सिएल पावर प्रोडेक्टस लि. बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन (2002) 3 टैक्स अपडेट पेज 320 तथा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन प्रथम, जयपुर बनाम सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लि. जयपुर के उद्धरण प्रस्तुत कर कहा है कि करापवंचन शाखा द्वारा अविधिक एवं अनुचित तरीके से क्षेत्राधिकार अर्जित किया है। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने निर्णय के कॉलम संख्या 12 में विस्तृत उल्लेख करते हुए संबंधित प्रकरण से भिन्न पाया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान के परिपत्र दिनांक 01.04.1997 में कर में अंतर के प्रकरण में प्रतिकरापवंचन की शाखा का क्षेत्राधिकार निश्चित किया है। अतः क्षेत्राधिकार पर उठाई गई आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है।

14. अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज (1987) 64 एसटीसी 178, माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स दीवान एन्टरप्राइजेज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश 102 एसटीसी 384 एवं माननीय उच्च न्यायालय के बिक्री कर आयुक्त बनाम शंकर मोटर्स (1995) 98 एसटीसी 384 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गैलवानाइज्ड स्टील पाईप को धारा 14 के तहत घोषित वस्तु मानने के मैसर्स गुजरात स्टील ट्यूब्स लि. बनाम केरल राज्य का 'एक्सल' को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा (IV)(XIV) के तहत घोषित वस्तु का कथन किया है इस कारण इस पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक कर वसूल नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में Noorie Manure Mill Vs Commissioner, Trade Tax, UP (S.C.) [(2007)] 8 VAT Reporter Part-2 page 144] के मामले में निर्णीत किया है कि "For classification of commodities, common parlance test to be applied," माननीय उच्चतम न्यायालय ने Trutuf Safty Glass Industreis Vs Commissioner of Sales Tax, UP (S.C.) [(2007)] 8 VAT Reporter Part - II Page 281] के मामले में निर्णीत किया है कि - Entries in taxation are not to be interpreted based on the scientific meaning of the term or expressions used but they are to be interpreted based on their popular meaning i.e. the meaning attached to them by those dealing in them" माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (1987) 64 एसटीसी 178 के उक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि Dummy Rear Axle Assembly वस्तुतः एक्सल ही है और 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। यह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 (IV)(XIV) में वर्णित एक्सल है तथा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः इस बिन्दु पर व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।


15. शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-


"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

अतः माननीय उच्चतर न्यायालयों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में आरोपित शास्तियों को अपास्त किया जाना विधिक प्रतीत होता है। अतः शास्तियों के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय को इस सीमा तक अस्वीकार किया जाता है।

16. फलतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पॉचों अपीलें कर, ब्याज एवं शास्ति के बिन्दुओं पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


20.4.2012
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष